R.E.O.- 182

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

क्रमांक : जोडि/अ.प्रनि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा० /प्रे० 763 जोधपुर, दिनांक 28-5-2010

आदेश

विषय :- भविष्य में कृषि कनेक्शन जारी करने के क्रम में।

****

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : 12 (10)/उर्जा/2006 दिनाक 25.5.2010 की अनुपालना मे निम्न आदेश दिये जाते है :-

1. भविष्य मे जारी होने वाले सभी कृषि कनेक्शन हेतु आवेदक को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीसियेन्सी द्वारा प्रमाणित कम से कम 3 स्टार रेटीग वाले इनर्जी एफीसियेन्ट पम्प सेट कृषि कनेक्शन जारी होने से पूर्व लगाना आवश्यक होगा।
2. कृषि कनेक्शन जारी होने से पूर्व आवेदक को कृषि विभाग से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने बूंद बूंद /फव्वारा सिंचाई पद्वति का तंत्र स्थापित कर लिया है।
3. आवेदक द्वारा दिया जाने वाला उपरोक्त प्रमाण पत्र कृषि विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा दिया जावेगा।
4. इनर्जी एफीसियेन्ट पम्प सेट की जांच एंव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को अधिकृत किया जाता है।
5. यदि उपभोक्ता कृषि कनेक्शन जारी होने के बाद बूंद बूद सिंचाई/ फव्वारा सिंचाई पद्वति का उपयोग बंद कर देता है तो उपभोक्ता का कृषि कनेक्शन विच्छेद कर दिया जावेगा।
6. यह आदेश गत वर्ष दिसम्बर 09 से पूर्व जारी किये गये मांग पत्रो पर लागू नही होगा।

28/5

(के.आर.मेहता)
अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।
- निदेशक (वितीय/तकनीकी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- मुख्य अभियन्ता/संभागीय मुख्य अभियन्ता (जो.जोन (I/II)/बी.जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- उप मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी,(ए एण्ड आर/................../......................) जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर/जयपुर।
- प्राचै.सहायक माननीय प्रबन्धक निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संधा./सर्तकता/आई एण्ड एम/आर ए एण्ड सी/टी.डब्लू/वाणिज्य/एमएमसी /एमएण्डपी/बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/बाडमेर/बीकानेर/जैसलमेर/चुरू/ श्रीगंगानगर /हनुमानगढ
- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) /उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) ....

क्रमांक : जोविविनिलि /स.अ./पवस/फा०तक /प्रे० जोधपुर, दिनांक

श्री..
....
....

विषय :– आपके द्वारा आवेदित कृषि कनेक्शन दिनांक.............................के संबंध मे।

*****

आवेदित कृषि विद्युत कनेक्शन दिये जाने के संदर्भ मे राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशो के अनुसार सूचित किया जाता है कि आपका कनेक्शन निम्नलिखित शर्तो के पूरी होने पर ही जारी किया जा सकेगा :–

1. आपके द्वारा लगाया जाने वाला पम्प सेट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीसियेन्सी द्वारा प्रमाणित कम से कम तीन स्टार की रेटिंग का होना चाहिये।
2. सिचाई बूंद–बूंद/फव्वारा पद्वति द्वारा की जावेगी जिसके लिये आप आवश्यक तंत्र स्थापित करेगे।
3. कनेक्शन चालू करने से पूर्व आपको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीसियेन्सी द्वारा प्रमाणित कृषि पम्प सेट लगाये जाने का प्रमाण देना होगा जो संबधित कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा सत्यापित करने के पश्चात ही विद्युत कनेक्शन जारी किया जा सकेगा।
4. आपका कनेक्शन बूंद बूंद /फव्वारा सिंचाई पद्वति का तंत्र स्थापित करने का प्रमाण पत्र कृषि विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने पर ही जारी किया जा सकेगा।

अतः आप द्वारा उपरोक्त वर्णित शर्तो के पूरा करने के लिये अपना सहमति पत्र इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस की अवधि मे प्रस्तुत करने पर ही आपको विद्युत सबंध जारी करने की कार्यवाही जारी की जावेगी। अन्यथा आपके आवेदन को लम्बित रखते हुए बाद वाली प्राथमिकता वाले आवेदको को शर्ते पूरी करने पर कनेक्शन देने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

सहायक अभियन्ता (पवस)
जोविविनिलि..........................